न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

(पीठासीन अधिकारी डॉ0 अनुपमा टेलर, आर.ए.एस.)

अपील संख्या 43 / 2020 दायरा दिनांक : 25.08.2020

उनवान

1– जगन्नाथी पुत्री घांसी लाल, जाति धाकड़, निवासी देवपुरा, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2– मूली लाल पुत्र माधो लाल, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

3– धूली लाल पुत्र माधो लाल, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

.... अपीलांट

बनाम

1– बादाम बाई पत्नी ज्ञानचन्द, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

2– महावीर पुत्र ज्ञानचन्द, जाति धाकड़, निवासी तारज, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

3– सैन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा खानपुर, तहसील खानपुर, जिला झालावाड़

4– भू आवप्ति अधिकारी परवन सिंचाई परियोजना, झालावाड़

5– राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, खानपुर, जिला झालावाड़

.... रेस्पोडेंट

रमेश बहादुर सिंह चाल
स्टेनो–(आर. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

उपस्थित – श्री रघुवीर गौड अभिभाषक अपीलांट की ओर से

श्री सी पी खण्डेलवाल अभिभाषक रेस्पोडेंट नं. 1 व 2 की ओर से

निर्णय **दिनांक : 15.07.2022**

यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सहायक कलेक्टर एवं पदेन उपखण्ड अधिकारी, खानपुर के प्रकरण संख्या – 966/दावा/2019 निर्णय दिनांक 18.08.2020 से अप्रसन्न होकर पेश की गई है ।

अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि निर्णय अधीनस्थ न्यायालय न्याय, विधि एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है । अपीलांट द्वारा ग्राम तारज पटवार हल्का तारज भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र तारज, तहसील खानपुर के माल में हाल जमाबंदी संख्या नया 163 पुरानी 165 की खसरा नम्बर 275 रकबा 11.17 बीघा, खसरा नम्बर 278 रकबा 11 बीघा एवं खसरा नम्बर 491 रकबा 2.09 बीघा एवं खसरा नम्बर 493 रकबा 0.17 बीघा एवं खसरा नम्बर 889 रकबा 1.14 बीघा एवं खसरा संख्या 890 रकबा 2.00 बीघा, खसरा नम्बर 1003 रकबा 4.19 बीघा कुल 7 किता की 34.16 बीघा आराजी स्थित है एवं ग्राम तारज पटवार हल्का तारज भू अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र तारज, तहसील खानपुर के माल में हाल जमाबंदी संख्या नया 442 पुरानी 80 की खसरा नम्बर 274 रकबा 0.16 बीघा, खसरा नम्बर 490 रकबा 0.19 बीघा एवं खसरा नम्बर 494 रकबा 0.17 बीघा एवं खसरा नम्बर 888 रकबा 3.07 बीघा एवं खसरा नम्बर 1005 रकबा 6.16 बीघा कुल 5 किता की 12 बीघा 15 बिस्वा आराजी स्थित है । वादग्रस्त आराजी के

टंकणकर्ता

रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

खातेदार अपीलांट के पिता व वसीयतकर्ता के पिता आपस में सगे भाई थे और अपीलांट के पिता के भाई ला–औलाद फौत हुए थे और बेवा की भी मृत्यु 4–5 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं, तथा वसीयतकर्ता के पति द्वारा अपीलांट को अपने जीवनकाल में हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के तहत गोपाल की आराजी पर अपीलांट्स एक मात्र खातेदार होकर काश्त करते चले आ रहे हैं तथा वादग्रस्त आराजी पर वसीयतकर्ता के पिता के समय से ही अपीलांट का अधिकार बनता है । किन्तु रेस्पोडेंट के द्वारा राज्य कर्मचारियों से सांठ–गांठ करके तथा रेस्पोडेंट द्वारा झूठी वसीयत पेश करके वसीयत के आधार पर अपने नाम उक्त आराजी की खातेदारी अपने नाम दर्ज करा ली है जो विधि विरूद्ध है। उक्त आराजी पर रेस्पोडेंट का न तो कभी कब्जा रहा है और ना ही काश्त की है । उक्त आराजी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बंटवारे का दावा विचाराधीन होने के बावजूद भी उक्त निर्णय पारित करने में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सरसरी तौर पर आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के प्रार्थना पत्र पर बिना किसी आधार व बिना किसी जवाबदेही व बिना तनकीयात कायम किये बगैर गुणावगुण पर गौर न करते हुए वाद खारिज कर दिया जो त्रुटिपूर्ण एवं असवैधानिक है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट द्वारा बिना किसी बाधा के शांतिपूर्वक 25–30 वर्षों से काश्त होने के कारण कब्जा मुखालफाना के सिद्धांतों के आधार पर खातेदार घोषित किया जाना चाहिए था, किन्तु उक्त आराजी वृहत परवन सिंचाई परियोजना के तहत डूब क्षेत्र में आने तथा रेस्पोडेंट नं. 4 के द्वारा अपीलांट को सुनवाई का अवसर दिये बिना ही वाद खारिज करने में विधिक त्रुटि की है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 18.08.2020 अपास्त किया जावे ।

अपील प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर की गई । नोटिस जारी किये गये । बहस उभयपक्षीय सुनी गई ।

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो–(पी. ए.)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने प्रार्थना पत्र आर्डर 41 नियम 27 एवं धारा 151 सी पी सी पेश किया तथा दस्तावेज – वसीयत पत्र दिनांक 12.08.1996 व विकय पत्र दिनांक 31.12.2010 की फोटो प्रति पेश की जो कि आवश्यक दस्तावेज होने से रिकार्ड पर लिया जाना आवश्यक है ।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराया और लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई । लिखित बहस में कथन किया गया कि अपील अपीलांट द्वारा अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश व डिकी आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 18.08.2020 के विरूद्ध पेश की है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट वादीगण ने आराजी के बारे में घोषणा व बंटवारे का वाद खातेदार घोषणा का पेश किया था । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वाद पत्र में आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के प्रावधानों के अनुसार बिना जवाबदेही व साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये बिना ही बिना सुनवाई किये ही निर्णय पारित किया है जो सर्वथा त्रुटिपूर्ण एवं अवैधानिक है तथा वाद पत्र को बिना साक्ष्य लिये व तनकीयात कायम किये बिना ही, तनकीयात बनाकर प्रत्येक तनकी पर नियमानुसार बहस सुनकर निर्णय किया जाना चाहिए था, लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने इन तथ्यों पर गौर किये बिना ही वादीगण अपीलांट का वाद खारिज करने में त्रुटि की है । रेस्पोडेंट कमं 1 बादाम बाई द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष वाद कमांक 750/2014 प्रस्तुत किया था जिसमें दिनांक 30.07.2015 को अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रारम्भिक डिकी जारी की उक्त निर्णय व डिकी की अपील न्यायालय हाजा के समक्ष अपील संख्या 116/2015 दिनांक 05.10.2015 को जारी स्थगन आदेश के बावजूद अधीनस्थ न्यायालय ने डिकी के आदेश की कियान्विति को स्थगित रखने हेतु आदेश पारित किया था किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने स्थगन आदेश की अवहेलना

टंकणकर्ता
[signature]
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

कर इन्तकाल नम्बर 2277 दिनांक 04.04.2016 को खोला था उक्त आदेश के विरूद्ध अतिरिक्त जिला कलेक्टर, झालावाड़ के यहां अपील पेश की गई जिस पर दिनांक 01.05.2017 को अपील स्वीकार कर रेस्पोडेंट के पक्ष में खोला गया इन्तकाल नम्बर 2277 दिनांक 04.04.2016 को निरस्त कर दिया गया था, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त तथ्यों पर बिना गौर किये निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । रेस्पोडेंट के पक्ष में खोला गया इन्तकाल खारिज कर दिया गया है तथा उसके आधार पर वाद पत्र को गुणावगुण व तनकी बनाकर तथा सुनवाई करके निर्णय पारित करना चाहिए था लेकिन अधीनस्थ न्यायालय ने बिना किसी कारण के वाद खारिज करने में त्रुटि की है। आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के प्रार्थना पत्र में वसीयत व विक्रय पत्र पर रेस्पोडेंट को आधार बनाकर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विधिक त्रुटि की है । अपीलांट वादीगण द्वारा वादग्रस्त पैतृक सम्पत्ति का घोषणा एवं बंटवारे का दावा विचाराधीन है जो कि उक्त वादग्रस्त आराजी पैतृक है तथा बिना आराजी के बंटवारा हुए बिना विक्रय पत्र व वसीयत प्रारम्भ से ही अवैध, शून्य व प्रभावहीन है । अर्थात् उक्त आराजी के हिस्से सक्षम अधिकारी के होने से पूर्व किया गया बेचान, वसीयत प्रारम्भ से ही अवैध, शून्य व प्रभावहीन है जो कि उक्त समस्त तथ्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष होते हुए भी अधीनस्थ न्यायालय ने साक्ष्य पेश करने का अवसर दिये बिना ही आदेश 7 नियम 11 सी पी सी के प्रार्थना पत्र को स्वीकार करने में त्रुटि की है । वादीगण अपीलांट द्वारा रा0 टी0 एक्ट के अन्तर्गत वाद अधीनस्थ न्यायालय में पेश किया था तथा वाद विधि विरूद्ध नहीं होने के बावजूद भी एक पक्षीय बहस सुनकर तथा बिना साक्ष्य पेश करने व जवाबदेही करने का अवसर दिये बिना, बिना तनकीयात कायम किये अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद खारिज किया है जो त्रुटिपूर्ण व अवैधानिक है । इन समस्त तथ्यों के आधार पर वादीगण अपीलांट की

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(पी. ए.)
भू-प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

अपील स्वीकार कर पुनः सुनवाई हेतु अधीनस्थ न्यायालय का प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायहित में आवश्यक है ताकि वादीगण अपीलांट की साक्ष्य लेकर व जवाबदेही तथा सुनवायी का अवसर देकर तनकीयात कायम करके प्रत्येक तनकी का पृथक पृथक आदेश दिया जाकर निर्णय पारित किया जा सके । अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट द्वारा लिखित बहस पेश की जो शामिल पत्रावली की गई। लिखित बहस में कथन किया गया कि अधीनस्थ न्यायालय में अपीलांट वादीगण के द्वारा घोषणा व बंटवारे का वाद हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के आधार पर पेश किया गया था और सजरे के आधार पर गोपाल खातेदार ला–औलाद फोत हो चुका है। वादग्रस्त आराजी पर वादीगण का अधिकार बनता है । अतः खातेदार घोषित किया जावे। अधीनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट/प्रतिवादी कम 1 व 2 के द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत कर कथन किया कि खातेदार गोपाल की पत्नी गणपति बाई से प्रतिवादी कम 1 ने दिनांक 30.12.2010 को जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र आराजी कय कर कब्जा प्राप्त किया है ।उक्त वर्णित आराजी खातेदार गणपति बाई ने प्रतिवादी कम 2 के हक में जरिये रजिस्टर्ड वसीयतनामा दिनांक 12.08.1996 को प्रतिवादी कम 2 के हक में निष्पादित कर अपना वसीयति उत्तराधिकारी बनाया है। इस प्रकार विकय पत्र एवं वसीयतनामे के आधार पर प्रतिवादी कम 1 व 2 विवादित आराजी पर काबिज है उक्त दस्तावेज पंजीकृत दस्तावेज है जिन्हें निरस्त करने का अधिकार सिविल न्यायालय को है। इसी दौरान रेस्पेडेंट नम्बर 1 व 2 ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आर्डर 7 नियम 11 सी पी सी प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादीगण का वाद इसी स्तर पर खारिज फरमाया जावे । अधीनस्थ न्यायालय ने दिनांक 18.08.2020 को रेस्पोडेंट/प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र आर्डर 7 नियम 11

टंकणकर्ता
रमेश बहादुर सिंह पाल
स्टेनो-(...)
भू. प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

सी पी सी स्वीकार करते हुए अपीलांट द्वारा प्रस्तुत वाद खारिज कर दिया । राजस्थान टीनेन्सी एक्ट के प्रावधानों के तहत किसी भी खातेदार को अपने हिस्से की आराजी किसी भी तरह से हस्तान्तरण करने का अधिकार है एवं धारा 39 के तहत कोई भी खातेदार अपने हिस्से की वसीयत कर सकता है एवं धारा 40 में यह स्पष्ट उल्लेख है कि जब कोई खातेदार वसीयत बिना ही मर जावे तब ही हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधान लागू होगे । अपने पक्ष के समर्थन में आर आर टी 2020 (1) पेज 271 पर प्रतिपादित किया गया है कि जब तक वसीयत अस्तित्व में है तब तक विरासत का प्रश्न उत्पन्न नहीं होता एवं वसीयत को निरस्त कराये बिना राजस्व कोर्ट के समक्ष वाद पोषणीय नहीं है । इन तथ्यों को मध्य नजर रखते हुए राजस्व मण्डल अजमेर की एकल पीठ के द्वारा प्रार्थना पत्र आर्डर 7 नियम 11 सी पी सी स्वीकार किया है और अपीलांट का वाद खारिज किया है । विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट ने अपने पक्ष के समर्थन में आर. बी. जे. 2016 पेज 514 एस. सी., आर. आर. टी. 2020(1) पेज 271, 2014 डी एन जे एस सी पेज 317 पेश की, जो शामिल पत्रावली की गई ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया। न्याय हित में धारा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर विलम्ब का शमन किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का गहन अध्ययन किया एवं प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों, सबूतों का भली भांति अध्ययन किया। अधीनस्थ न्यायालय ने मेरिट के आधार पर निर्णय पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय उचित है। जिसमें हम किसी प्रकार का हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते हैं। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है।

डॉ0 अनुपमा टेलर
भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा (राज0)

रमेश बहादुर सिंह पाल
भू प्रबन्ध अधिकारी, कोटा

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट सारहीन होने से खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 18.08.2020 यथावत रखा जाता है ।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2022 को लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

15/7/2022

(डॉ0 अनुपमा टेलर)
भू प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

टंकणकर्ता